आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/विविध/14/ 998

दिनांक: 27 नवम्बर, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः AIFUCTO की संवैधानिक कान्फ्रेंस दिनांक 7–12–2019 से 9–12–2019 में भाग लेने हेतु अकादमिक अवकाश स्वीकृत करने बाबत।
सन्दर्भ : आपका पत्रांक रूक्टा/2019/0072 दिनांक 21.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि रूक्टा द्वारा आयोजित AIFUCTO की संवैधानिक कान्फ्रेंस दिनांक 7–12–2019 से 9–12–2019 तक भुवनेश्वर, उडीसा में भाग लेने वाले सह/सहायक आचार्यो को उक्त AIFUCTO की संवैधानिक कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों एवं आयुक्तालय के पत्रांक एफ8 (सेमिनार) अकाद/निकाशि/2012/II/614 दिनांक 11.12.2013 के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्राचार्यो द्वारा एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 4 दिवस का विशेष आकस्मिक (अकादमिक) अवकाश स्वीकृत करने की नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त दिवस का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त अवकाश का लाभ देय होगा।

उक्त AIFUCTO की संवैधानिक कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले अधिकारियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

भवदीय,

मेहरा 27/11/19

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/विविध/14/ 998

दिनांक: 27 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. महामंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) II-E-317, जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर को उनके रूक्टा/2019/0072 दिनांक 21.11.2019 के क्रम में।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा। अपलोड हेतु

मेहरा 27/11/19

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)